बिहार सरकार
श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग
बिहार भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड

आम सूचना

यह सूचित किया जाता है कि बोर्ड के अंतर्गत संविदा आधारित लिपिक एवं परामर्शी लेखा एवं अंकेक्षण के नियोजन हेतु प्रसारित की जा रही सूचना/विज्ञापन भ्रामक एवं असत्य है।

बोर्ड द्वारा इस प्रकार की किसी भी वैकेंसी/नियोजन के लिए कोई आधिकारिक सूचना/विज्ञापन प्रकाशित नहीं की गई है। अतः आम जन से अनुरोध है कि ऐसी भ्रामक सूचनाओं पर ध्यान न दें एवं किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी से सावधान रहें।

किसी भी प्रकार की आधिकारिक जानकारी के लिए केवल विभागीय वेबसाइट अथवा अधिकृत माध्यमों का ही अनुसरण करें।

आदेशानुसार,
04.5.26
(घनश्याम रविदास)
सहायक श्रमायुक्त (कार्यकारी प्रभार)

D/2026/A Letter 201

Gmail

Secratory Board <biharbhawan111@gmail.com>

(no subject)

1 message

श्रमिक विज्ञापन

Anil goswami <anilgiri31174@gmail.com>
To: biharbhawan111@gmail.com

Thu, Apr 30, 2026 at 7:25 AM

श्रम संसाधन विभाग

बिहार भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड

बिहार सरकार

बिहार भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड, श्रम संसाधन विभाग के अन्तर्गत विभिन्न पदों पर संविदा आधारित नियोजन हेतु विज्ञापन

बिहार भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड, श्रम संसाधन विभाग, नियोजन भवन, बेली रोड, बिहार, पटना के अन्तर्गत निम्नलिखित पदों पर उनके सामने अंकित पदों की संख्या के लिये संविदा आधारित नियोजन हेतु सचिव (बोर्ड), श्रम संसाधन विभाग, नियोजन भवन, चौथा तल्ला, सी–ब्लॉक (आयकर गोलम्बर के पास), बेली रोड, बिहार, पटना– 800001 के पते पर आवेदन पत्र आमंत्रित किया जाता है:–

क्र0 सं0	पदनाम	पदों की संख्या	न्यूनतम शैक्षणिक प्रशासनिक योग्यता	न्यूनतम अनुभव	आयु सीमा	मानदेय	नियुक्ति का प्रकार	सृजित पदों के वेतन एवं भत्तों पर वार्षिक व्यय (रूपये)	अभ्युक्ति
1	लिपिक	341	इंटरमिडीएड / बी.ए बी.कॉम /	कंप्यूटर सकक्षरता में 1 वर्ष का न्यूनतम अनुभव	18 वर्ष से 40 वर्ष	अधिकतम रू० 18,000/- से 25000/- मासिक	संविदा पर	NA	
2	परामर्शी लेखा एवं अंकेक्षण	75	बी.कॉम /एम. कॉम /चार्टर्ड एकाउंटेन्ट	महालेखाकार कार्यालय अथवा वित्त विभाग के अवकाश प्राप्त राजपत्रित पदाधिकारी जिन्हें लेखा, बजट एवं अंकेक्षण का पर्याप्त अनुभव हो।	60 वर्ष से 65 वर्ष	अधिकतम रू० 50,000/- मासिक	संविदा पर	NA	

संविदा पर चयन हेतु शर्त्तें :–

1. आवेदक भारत का नागरिक हो।
2. बिहार सरकार के द्वारा समय समय पर प्रवृत अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / पूर्व सैन्य कर्मियों को नियमानुसार उम्र सीमा में छूट अनुमान्य होगी।
3. सामान्य प्रशासन विभाग, पटना द्वारा राज्य सरकार की सेवा में सीधी नियुक्ति कि लिए समय समय पर निर्धारित आरक्षण के प्रावधान लागू होंगे।
4. संविदा के आधार पर नियोजित उपर्युक्त सभी कर्मियों की कार्य अवधि प्रथम चरण में एक वर्ष के लिए होगी। सेवा संतोषजनक पाये जाने पर सेवा विस्तारित की जा सकती है।
5. संविदा की अवधि समाप्त होने के पूर्व यदि नियोजित व्यक्ति का पुनर्नियोजन नहीं होता है, तो निर्धारित तिथि को नियोजन स्वतः समाप्त माना जाएगा और इसके लिए कोई आदेश निर्गत किया जाना अपेक्षित नहीं होगा।
6. संविदा पर नियोजित व्यक्ति न तो सरकारी सेवक माने जाएंगे और न ही सरकारी सेवकों के अनुमान्य किसी भी सुविधा के हकदार माने जाएंगे।
7. संविदा पर नियोजित कर्मी स्थायीकरण / नियमितीकरण का दावा नहीं करेंगे और न ही वे इसके पात्र होंगे।
8. संविदा पर नियोजित कर्मियों को राज्य सरकार एवं बिहार भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड द्वारा निर्धारित दायित्वों का निर्वहन करना होगा।
9. संविदा पर नियोजित कर्मियों पर प्रशासनिक नियंत्रण बिहार भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड, श्रम संसाधन विभाग, पटना का होगा।

इस वेकन्सी मे आवेदन की अंतिम तिथि नही दी हुई है क्या यह वेकन्सी वास्तविक है